



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032024-253205
CG-DL-E-18032024-253205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1397]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 18, 2024/फाल्गुन 28, 1945

No. 1397]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 18, 2024/PHALGUNA 28, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

एथिलीन विनाइल एसीटेट कॉपोलिमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 1463(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 3 अक्टूबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1643 (अ), तारीख 05 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याक का.आ. 4597(अ), तारीख 29 सितंबर, 2022, का.आ. 1556(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 और का.आ. 4234 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024

Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2024

S.O. 1463(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 3rd day of October, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Part 2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1643(E), dated the 05th April, 2021 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4597(E), dated the 29th September, 2022, S.O. 1556(E), dated the 31st March, 2023 and S.O. 4234(E), 26th September, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 1464(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 24 अक्तूबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1646 (अ), तारीख 05 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याक का.आ. 4600 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और का.आ. 1787 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024

Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2024

S.O. 1464(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Order may be called the Acrylonitrile (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 24th day of October, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Part 2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1646(E), dated the 05th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4600(E), dated the 29th September, 2022 and S.O. 1787(E), dated 18th April, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 1465(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 24 अक्टूबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1645 (अ), तारीख 05 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याक का.आ. 4599 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2022 और का.आ. 1786 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024

Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2024

S.O. 1465(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 24th day of October, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Part 2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1645(E), dated the 05th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4599(E), dated the 29th September, 2022 and S.O. 1786(E) dated 18th April, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2024

मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024

का.आ. 1466(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 के, पैरा 1 में, उप पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह 24 अक्टूबर, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020-टेक.सीपीसी (भाग 2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 1644 (अ), तारीख 05 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याक का.आ. 4598 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2022, का.आ. 1788 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2023, (का.आ. 1986 (अ), तारीख 01 मई, 2023 द्वारा हिंदी रुपांतर का शुद्धि पत्र) और का.आ. 4233 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2024

Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2024

S.O. 1466(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This Order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 24th day of October, 2024.”

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Part 2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1644(E), dated the 05th April, 2022 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 4598(E), dated the 29th September, 2022, S.O. 1788(E), dated the 18th April, 2023 (Corrigendum in Hindi version *vide* S.O. 1986(E) dated 01st May, 2023) and S.O. 4233(E) dated the 26th September, 2023.